पॉचवा अध्याय

राजस्व प्राप्तियॉ

सामान्य

5.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2001–2002 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संग्रहित कर तथा कर भिन्न राजस्व में से, राज्य को भारत सरकार से वर्ष के दौरान प्राप्त विभाज्य संधीय कर एवं सहायक अनुदान का राज्यांश निम्नानुसार है :–

(करोड़ रूपये में)

स.क.	विवरण	2001–2002[1]
I.	राज्य सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व	
	(अ) कर राजस्व	2001.75
	(ब) कर भिन्न राजस्व	722.38
	योग–I	**2724.13**
II.	भारत सरकार से प्राप्त प्राप्तियॉ	
	(अ) राज्य का विभाज्य संघीय कर का राज्य अंश	1167.24[2]
	(ब) सहायक अनुदान	484.39
	योग–II	**1651–63**
III.	**राज्य की कुल प्राप्तियॉ (I + II)**	**4375.76**

5.2 राज्य द्वारा संग्रहित कर राजस्व

(i) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2001–2002 के दौरान संग्रहित कर राजस्व का विवरण निम्नानुसार हैः–

(करोड़ रूपये में)

स. क.	राजस्व शीर्ष	2001–2002
1	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	940.09
2	राज्य उत्पादन शुल्क	313.61
3	विद्युत पर कर और शुल्क	226.06
4	माल और यात्रियों पर कर	196.27
5	वाहनों पर कर	124.88
6	मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस	121.35
7	भू–राजस्व	16.57
8	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	13.19
9	आय और व्यय पर अन्य कर	48.70
10	होटल प्राप्ति कर	1.03
	योग	**2001.75**

[1] अनंतिम आंकड़े

[2] कृपया विवरण हेतु वर्ष 2001–2002 छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे के विवरण पत्रक कमांक 11 'लघु शीर्ष से राजस्व के विस्तृत लेखे का अवलोकन करें । इस विवरण पत्रक में 0021–निगमकर से भिन्न आय पर कर का राज्य को सौंपे गये निवल प्राप्ति के अंश को वित्त लेखे के अन्तर्गत राज्य द्वारा संग्रहित राजस्व को अ–कर राजस्व में शामिल न कर विभाज्य संधीय करों के राज्यीय अंश में शामिल कर प्रविष्टी की गई ।

(ii) वर्ष 2001–2002 के दौरान प्राप्त मुख्य कर भिन्न राजस्व का विवरण निम्नानुसार है:–

(करोड़ रूपये में)

स.क.	राजस्व शीर्ष	2001–2002
1.	वानिकी और वन्य प्राणी	98.19
2.	अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	454.04
3.	ब्याज प्राप्तियॉं	49.12
4.	वृहद, मध्यम, एवं लघु सिंचाई	43.38
5.	जल प्रदाय एवं सफाई	1.56
6	अन्य प्राप्तियॉं	76.09
	योग	**722.38**

5.3 बजट अनुमानों और वास्तविक में अंतर

वर्ष 2001–2002 में राजस्व के मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर निम्नानुसार है–

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	अंतर बढ़ोतरी(+) कमी (–)	अंतर का प्रतिशत
(अ) कर राजस्व		**(करोड़ रूपये मे)**		
1. विक्रय, व्यापार आदि पर कर	775.48	940.09	(+)164.61	(+)21.22
2. राज्य उत्पादन शुल्क	399.97	313.61	(–)86.36	(–)21.59
3. विद्युत पर कर और शुल्क	230.50	226.06	(–)4.44	(–)1.92
4. माल और यांत्रियों पर कर	160.75	196.27	(+) 35.52	(+)22.09
5. वाहनों पर कर	113.60	124.88	(+)11.28	(+) 9.92
6 मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस	130.09	121.35	(–) 8.74	(–) 6.71
7. भू–राजस्व	10.47	16.57	(+) 6.10	(+) 58.26
8. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	8.54	13.19	(+) 4.65	(+) 54.45
9. आय और व्यय पर अन्य कर	74.42	48.70	(–) 25.72	(–) 34.56
10. होटल प्राप्ति कर	1.10	1.03	(–) 0.07	(–) 6.36
योग	**1904.92**	**2001.75**	**(+) 96.83**	**(+) 5.08**
(ब) कर–भिन्न राजस्व				
1. वानिकी और वन्यजीवन	**120.00**	**98.19**	**(–)21.81**	**(–)18.18**
2. अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	455.00	454.04	(–)0.96	(–)0.21
3 व्याज वाली जमा	50.64	49.12	(–)1.52	(–)3.00
4. वृहत, मध्यम एवं लघु सिंचाई	55.86	43.38	(–)12.48	(–)22.34
5. जल प्रदाय एवं सफाई	1.01	1.56	(+)0.55	(+)54.46
6. अन्य	61.69	76.09	(+)14.40	(+)23.34
योग	**744.20**	**722.38**	**(–)21.82**	**(–)2.93**

मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस–अन्तर का कारण प्रलेखों का कम प्राप्त होना था ।

अन्य शीर्षों के संबंध में वास्तविक अंतर के कारण मांगे जाने पर भी संबंधित विभागों से प्राप्त नही हुए हैं (नवंबर–2002) ।

5.4 बकाया राजस्व

संबंधित विभागों द्वारा सूचित किये अनुसार 31 मार्च 2002 को बकाया राजस्व निम्नानुसार था ।

राजस्व शीर्ष	राशि		अभियुक्तियॉं
	31 मार्च 2002 को बकाया	31 मार्च 2002 को पांच वर्ष से अधिक की अवधि से बकाया	
	(करोड रूपये में)		
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	0.40	0.18	भू राजस्व बकाया के रूप में 0.24 करोड़ रूपये की वसूली हेतु सूचित किया गया, 0.16 करोड़ रूपये की वसूली न्यायिक अधिकारियों/शासन द्वारा स्थगित की गई ।

मांगी गई जानकारी अन्य विभागों से भी प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2002)

5.5 लेखा परीक्षा के परिणाम

2001–2002 के दौरान वाणिज्यक कर, राज्य आबकारी, मोटरयान कर, भू–राजस्व एवं अन्य विभागों के अभिलेखों की नमूना जॉच में कम निर्धारण, हानि आदि से 32824 प्रकरणों में 351.99 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि पाई गई । वर्ष 2001–2002 के दौरान विभागों द्वारा 7615 प्रकरणों में 99.70 करोड़ रूपये के कम निर्धारण आदि को स्वीकार किया गया जिनमें से 44.73 करोड़ रूपये के 6484 प्रकरण 2001–2002 के दौरान लेखापरीक्षा में एवं शेष पूर्व के वर्षों में इंगित किये गये थे । 2001–2002 के दौरान कोई भी राशि वसूल नहीं की गई थी।

इस प्रतिवेदन में 21.19 करोड़ रूपये का राजस्व सम्मिलित करते हुये 34 कंडिकायें सन्निहित हैं । संबंधित विभागों द्वारा 3.00 करोड़ रूपये से सम्मिलित आपत्तियों को स्वीकार किया गया एवं जून 2002 तक ब्याज सहित 0.69 लाख रूपये की वसूली की गई। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

5.6 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षा टिप्पणियॉं

त्रुटिपूर्ण निर्धारण, करों, शुल्कों एवं फीसों आदि के अभिलेखों के दोषपूर्ण रख रखाव पर लेखा परीक्षा टिप्पणियॉं जिसके समाधान स्थल पर नहीं हुए, कार्यालय प्रमुखों एवं अन्य विभागीय अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से सूचित कर दिये गये हैं । अधिक महत्वपूर्ण अनियमितताओं की सूचना विभाग प्रमुखों एवं शासन को सूचित की गई है । कार्यालय प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन का उत्तर दो माह के भीतर संबंधित विभाग प्रमुखों के माध्यम से भेजा जाना है ।

(1) 31 दिसम्बर 2001 तक जारी राजस्व प्राप्तियों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या जो कि 30 जून 2002 को विभाग द्वारा निराकरण हेतु लंबित थीं, निम्नानुसार है:–

	जून 2002 के अंत में
निराकरण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	1646
लंबित लेखा परीक्षा टिप्पणियों की संख्या	5788
संन्निहित राजस्व की राशि (करोड़ रूपये में)	1724.81

(ii) 30 जून 2002 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखा परीक्षा टिप्पणियों का विभागवार विवरण निम्नानुसार है–

सरल क्रमांक	प्राप्तियों का प्रकार/ विभाग का नाम	लंबित लेखापरीक्षा टिप्पणियां	सम्मिलित राशि (करोड़ रूपये में)	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	
				कुल	जनवरी और दिसंबर 2001 के मध्य जारी एवं अनुत्तरित शेष
1.	वाणिज्यिक कर	1538 (400)	178.05 (51.32)	234 (95)	54
2.	भू–राजस्व	1116	475.67	581	निरंक
3.	वानिकी और वन्य प्राणी	869 (458)	423.61 (67.88)	238 (139)	निरंक
4.	राज्य उत्पादन शुल्क	243 (90)	76.75 (25.33)	62 (32)	2
5.	मनोरंजन शुल्क	56 (30)	1.30 (0.68)	35 (23)	निरंक
6.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	452 (197)	18.92 (12.21)	180 (100)	6
7	जल संसाधन	342 (251)	30.07 (16.26)	60 (41)	1
8.	लोक निर्माण	231 (134)	18.45 (4.14)	60 (39)	6
9.	खनिज	202	300.71	59	निरंक
10.	मोटर यान कर	522 (346)	139.96 (8.82)	60 (41)	5
11.	विद्युत शुल्क	6	0.12	2	निरंक
12.	अन्य	211 (142)	61.20 (14.36)	75 (48)	5
	योग	**5788 (2048)[3]**	**1724.81 (200.99)3**	**1646 (558)3**	**74**

प्रकरण शासन के ध्यान में लाया गया, शासन द्वारा लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखा परीक्षा टिप्पणियों के निराकरण के संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 2002)। स्थानीय लेखा परीक्षा के दौरान 1223 आपत्तियां निराकृत की गई एवं महालेखाकार कार्यालय में समीक्षा के पश्चात 14 आपत्तियों का निराकरण किया गया ।

5.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन

छत्तीसगढ राज्य की लोक लेखा समिति की पहली बैठक 22 मई 2001 को हुई। मौखिक साक्ष्य के लिए वर्ष 1998–99 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की 28 कंडिकाओं, वर्ष 1999–2000 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की 22 कंडिकाओं एवं वर्ष 2000–2001 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियॉ) की 19 कंडिकाओं का चयन किया गया ।

5.8 प्रारूप लेखा परीक्षा कंडिकाओं पर राज्य शासन की प्रतिकिया

लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखा परीक्षा कंडिकाओं के लेखा परीक्षा निष्कर्षों को संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव के ध्यान में

[3] कोष्ठक के आंकड़े पॉच वर्षों से अधिक से लंबित मदों को दर्शाता है ।

लाया जाकर आग्रह किया गया है कि वे अपना उत्तर छः सप्ताह के भीतर प्रेषित करें । लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक ऐसी कंडिका के अंत में विभाग से उत्तर प्राप्त न होने के तथ्य सतत रूप से दर्शाये गये हैं। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 34 प्रारूप कंडिकाएं संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव के नाम भेजी गयी थी (अगस्त 1999 और जून 2002 के मध्य) विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर अनुस्मारक पत्र जारी करने पर भी प्रेषित नहीं किये गये (नवंबर 2002)। विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव के उत्तर के बिना इन समस्त कंडिकाओं को इस प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया है।

वाणिज्यिक कर

5.9 कर की गलत दर लागू करना

मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम (अधिनियम) 1994 (जिसे छत्तीसगढ राज्य द्वारा स्वीकार कर लिया गया है) की तालिका–II में विभिन्न वस्तुओं पर वाणिज्यिक कर की आरोपणीय दरों का विशिष्ट रूप से उल्लेख है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों की सूची के अनुसार लीनियर एल्केलाईन बेजीन एक पेट्रोलियम उत्पाद है ।

(i) क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह पाया गया (अप्रैल 2001) कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एक व्यापारी का वर्ष 1997–98 हेतु कर का निर्धारण करते समय (फरवरी 2001) लीनियर एल्केलाईन बेंजीन को पेट्रोलियम उत्पाद के स्थान पर रसायन मान कर निर्धारण किया गया । फलस्वरूप 8 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत की दर से करारोपण करने के परिणामस्वरूप 12.27 लाख रूपये के कर का कम आरोपण हुआ ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2001) कर निर्धारण अधिकारी ने बताया (जनवरी 2002) कि कर का आरोपण रसायन मान कर सही किया गया है जैसा कि (जनवरी 2000) में राजस्व मण्डल द्वारा निश्चित किया गया है । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राजस्व मंडल का निर्णय नेप्थालीन पावडर से संबंधित है एवं इस प्रकरण में लागू नहीं होता है ।

(ii) 3 क्षेत्रीय कार्यालयों[4] और 4 वृत्त कार्यालयों[5] में अप्रैल 1995 से मार्च 2000 की अवधि के लिए 8 व्यापारियों के अन्य 10 प्रकरणों के निर्धारण में (अगस्त 1999 एवं मार्च 2001 के मध्य) यह पाया गया (दिसम्बर 2000 एवं अक्टूबर 2001 के मध्य) कि 6.36 करोड़ रूपये मूल्य की विक्रीत सामग्री जैसे रबर सोल्यूशन, मसाले, कम्प्यूटर पार्टस, इमारती लकड़ी एवं

[4] क्षेत्रीय कार्यालय–बिलासपुर, रायगढ और रायपुर

[5] वृत्त कार्यालय–बिलासपुर, रायगढ और रायपुर (2)

कपड़ा आदि पर कर की गलत दर लागू किये जाने के परिणामस्वरूप 25.44 लाख रूपये का कम करारोपण हुआ ।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा 9.53 लाख रूपये की लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया गया (फरवरी 2001 से मार्च 2002) जिसमें से 1.20 लाख रूपये की मांग की गई है । तथापि ठेका कार्य में उपयोग किये रबर सोल्यूशन एवं रबर के संबंध में विभाग ने बताया कि इनका उपयोग सामग्री के निर्माण में किया गया था एवं रसायन होने के कारण नष्ट हो गए एवं इस प्रकार ये जबरन कर योग्य नहीं थे। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ये एक रूप या दूसरे रूप में अस्तित्व में रहते है।

कम्प्यूटर पार्टस के संबंध में विभाग ने बताया है कि कर सही आरोपित किया गया था, उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्प्यूटर हेतु लागू दरों के अनुसार कर का निर्धारण किया गया था न कि कम्प्यूटर पार्टस पर लागू कर की दर के अनुसार जो कि इलेक्ट्रानिक सामग्री हैं एवं कर की ऊंची दर लागू होती है ।

बनफूल के संबंध में विभाग ने बताया है कि यह आयुर्वेदिक औषधि है, जो कि मान्य नहीं है क्योंकि ये केश तेल[6] है ।

प्रकरण शासन को सूचित किया गया था, (मार्च 2001 एवं अक्टूबर 2001 के मध्य) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2002)।

5.10 सकल विक्रय का गलत निर्धारण

मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम 1958, अधिनियम 1994 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों (जिसे छत्तीसगढ राज्य द्वारा स्वीकार कर लिया गया है) के तहत यदि परिवहन या वितरण पर किया गया व्यय अलग से प्रभारित नहीं किया गया है तो विक्रय मूल्य का एक हिस्सा होगा।

अभिलेखों की नमूना जांच में निम्नलिखित पाया गयाः–

(i) वृत कार्यालय–I एवं II दुर्ग में 1997–98 की अवधि के लिए 9 व्यापारियों के निर्धारण प्रकरण में (दिसम्बर 2000 एवं फरवरी 2001 के मध्य), 3.23 करोड़ रूपये के परिवहन व्यय की कटौती विक्रय मूल्य से गलत प्रदान की गई। इसके परिणामस्वरूप 12.92 लाख रूपये के कर का अनारोपण हुआ ।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2000 एवं मई 2001 के मध्य) निर्धारण अधिकारियों ने बताया कि सामग्री का वितरण खदान स्थल पर किया गया था एवं परिवहन व्यय अलग से प्रभारित किये गये थे । अनुबंध

---

[6] मे0 प्रभुदयाल शर्मा विरूद्ध वाणिज्यिक कर आयुक्त पश्चिम बंगाल के प्रकरण में पश्चिम बंगाल कराधान अधिकरण का निर्णय
(एस.टी.सी. खण्ड 120 पृष्ठ 241)

में दर्शायी गई शर्तों के अनुसार परिवहन व्यय अलग से प्रभारित नहीं करने एवं विक्रय मूल्य के भाग के रूप में लिये जाने के परिप्रेक्ष्य में उत्तर मान्य नहीं है।

(ii) मध्यप्रदेश के नियम, 1994 में इमारती लकड़ियों पर 20 प्रतिशत कर की व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त व्यापारी विक्रेता द्वारा अपने सकल विक्रय आगम के एक हिस्से या सम्पूर्ण को छुपाने पर वाणिज्यिक कर आयुक्त शास्ति आरोपित कर सकता है जो कर से तीन गुना से कम और पॉच गुना से अधिक न हो ।

वृत्त कार्यालय अंबिकापुर में एक व्यापारी के दिसम्बर 2000 में 1997–98 की अवधि के निर्धारण प्रकरण में 2.82 लाख रूपये की इमारती लकड़ी का विक्रय, विक्रय लेखा में नहीं दर्शाया गया । इसके परिणामस्वरूप 0.57 लाख रूपये के कर एवं 0.47 लाख रूपये के ब्याज का अनारोपण हुआ । इसके अतिरिक्त 1.71 लाख रूपये की न्यूनतम शास्ति आरोपित की जा सकती थी ।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर (जून 2001) निर्धारण अधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की गयी, तथापि, आगे की गई कार्यवाही सूचित नहीं की गई (नवम्बर 2002)।

प्रकरण शासन को सूचित किया गया (अगस्त 2001) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2002)।

5.11 कर का अनारोपण

मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 के तहत मान्यता प्रमाणपत्र धारक पंजीकृत व्यापारी द्वारा क्रय की गई सामग्रियों का उपयोग विक्रय हेतु सामग्री के निर्माण में कच्चे माल के रूप में किये जाने पर रियायती दर से कर योग्य है । अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु ऐसी सामग्रियों के सम्बन्ध में व्यापारी कर की पूर्ण दर या रियायती दर से अन्तर के बराबर कर या शास्ति के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा ।

क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर में एक व्यापारी के जिसका दिसम्बर 1999 में 1993–94 की अवधि के लिए पुनर्निर्धारण प्रकरण था, की नमूना जॉच (अप्रैल 2001) में ज्ञात हुआ कि मान्यता प्रमाण पत्र धारक एक व्यपारी ने 39.63 लाख रूपये मूल्य के सीमेन्ट का क्रय रियायती दर पर किया एवं उसका उपयोग विक्रय के लिये अन्य सामग्री तैयार करने में नहीं किया गया । तथापि, सीमेन्ट का प्रदाय एक ठेकेदार को भवन निर्माण के लिए किया गया । इस प्रकार व्यापारी कर के अंतर की राशि 3.17 लाख रूपये के भुगतान हेतु उत्तरदायी था जिसका न तो भुगतान किया गया था और न, ही विभाग द्वारा मांग की गई थी, परिणामस्वरूप शासकीय राजस्व की वसूली में इस सीमा तक कमी हुई ।

प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं शासन को सूचित किया गया (जून 2001), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

5.12 नवीन उद्योगों को कर के भुगतान से गलत छूट

अधिनियम, 1994 और उसके अधीन जारी अधिसूचनाओं के अन्तर्गत पात्रता प्रमाण पत्र धारक पात्र श्रेणी की नवीन औद्योगिक इकाईयों को उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के विक्रय पर कर के भुगतान से छूट है ।

(प) वृत्त कार्यालय, कोरबा के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (मार्च 1999 से मई 2001) कि एक नवीन औद्योगिक इकाई के 1997–98 की अवधि के लिये दिसम्बर 2000 में कर निर्धारण में तरल पेट्रोलियम गैस (एल पी जी) की पुनः भराई को उत्पादन प्रक्रिया मानकर छूट प्रदान की गई। 1.32 करोड़ रूपये मूल्य की एल पी जी के विक्रय पर कर के भुगतान से गलत छूट के परिणामस्वरूप 22.76 लाख रूपये के कर का अनारोपण हुआ ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर निर्धारण अधिकारी ने बताया (जून 2001) कि उद्योग विभाग द्वारा जारी योग्यता प्रमाण पत्र को निर्धारण अधिकारी मानने के लिए बाध्य है । माननीय उच्च न्यायालय, गुजरात[7] के निर्णय में एल पी जी की पुनः भराई /रिपैकिंग को उत्पादन की प्रक्रिया नहीं माने जाने के परिप्रेक्ष्य में उत्तर मान्य नहीं है। त्रुटिपूर्ण जारी किये गये पात्रता प्रमाण पत्र को निरस्त करने हेतु प्रकरण उद्योग विभाग को भेजा जाना चाहिए था ।

(पप) दो क्षेत्रीय कार्यालयों [8] तथा चार वृत्त कार्यालयों [9] के 7 व्यापारियों के 8 प्रकरणों में 3.49 करोड़ रूपये की सामग्रियों का गलत मूल्यांकन करने से कर के भुगतान में छूट प्रदाय की गई थी जो न तो पात्रता प्रमाण पत्र में उल्लिखित थी और न ही अप्रैल 1993 से मार्च 1998 के मध्य सामग्रियों के विक्रय पर छूट की अवधि में आती थी । इसके परिणामस्वरूप 17.57 लाख रूपये के कर का अनारोपण हुआ ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि दो प्रकरणों में कार्यवाही की जायेगी जबकि अन्य पॉच प्रकरणों में छूट उद्योग विभाग द्वारा जारी योग्यता प्रमाण पत्र के आधार पर प्रदान की गई थी । उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि सिलिको मेगनीज, ट्रेक्टर ट्राली और पटसन योग्यता प्रमाण पत्र में उल्लिखित नहीं थे। यद्यपि छूट की अवधि 26 मई 1996 को समाप्त हो गई थी, इनैमल वायर के एक प्रकरण में वर्ष 1997–98 के लिए छूट प्रदान की गई थी ।

---

[7] मे0 कोसन गैस कंपनी विरूद्ध गुजरात सरकार के प्रकरण में माानीय उच्च न्यायालय गुजरात का निर्णय (1992) 87 एस टी सी. 236

[7] क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (2)

9 वृत कार्यालय – दुर्ग (2) ,रायगढ़ एवं रायपुर

प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर और शासन को सूचित किया गया था (अगस्त 1999 एवं अगस्त 2001 के मध्य)। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2002)।

5.13 बंद इकाइयों से वाणिज्यिक कर की वसूली न किया जाना

मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 एवं उसके अधीन जारी अधिसूचनाओं के अन्तर्गत कर छूट योजना, 1986 के तहत कर के भुगतान से छूट का लाभ प्राप्त कर रही एक औद्योगिक इकाई को छूट की अवधि के दौरान ऐसी एवं छूट की अवधि की समाप्ति की तिथि से आगामी 5 वर्षों तक ऐसी औद्योगिक इकाई को चालू रखना होगा। अधिसूचना की शर्तों का उल्लंघन करने पर निरस्त करने हेतु पात्रता प्रमाण पत्र समर्पण करने हेतु बाध्य होगा तथा फलस्वरूप इकाई द्वारा ली गई छूट की राशि वसूल की जावेगी।

(i) क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर एवं रायपुर में दो व्यापारियों के 1992–93 से 1996–97 की अवधि के लिए निर्धारण प्रकरणों (जुलाई 1995 से फरवरी 1999 के मध्य) की नमूना जांच में पाया गया (जुलाई 2000 एवं मई 2001 के मध्य) कि छूट योजना 1986 के अन्तर्गत 14 फरवरी 1992 से 13 फरवरी 1997 एवं 26 दिसम्बर 1991 से 25 दिसम्बर 1996 के मध्य कर के भुगतान से छूट का लाभ ले रही औद्योगिक इकाईयों के पात्रता प्रमाण पत्र एवं पंजीयन प्रमाण–पत्र विभाग द्वारा कुछ शर्तों के उल्लंघन के कारण क्रमशः जुलाई 2000 एवं अप्रैल 1997 में निरस्त किये गये । तथापि, औद्योगिक इकाईयों द्वारा ली गई 1.63 करोड़ रूपये की छूट की राशि वसूल नहीं की गई थी ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर रायपुर के प्रकरण में विभाग ने बताया कि विभाग द्वारा प्रात्रता प्रमाण पत्र निरस्त नहीं किये जाने से राशि की वसूली नहीं की जा सकी उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उद्योग विभाग द्वारा निरस्त किए गए, प्रात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने या व्यापारी से वसूली हेतु कोई कदम ही नहीं उठाये गये थे ।

अन्य प्रकरण में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2002)।

(ii) क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर और वृत कार्यालय, कोरबा में मई 1997 एवं जून 2000 के मध्य 2 व्यापारियों के निर्धारण प्रकरण की मार्च 1999 एवं मई 2001 में नमूना जांच में पाया गया कि कर छूट योजना, 1986 के अन्तर्गत जून 1989 से अक्टूबर 1998 के मध्य दो नवीन औद्योगिक इकाइयों को कुल 3.15 करोड़ रूपये की कर छूट दी गई, वसूली नहीं की गई यद्यपि इकाइयॉ छूट की अवधि समाप्त होने की तिथि से पॉच वर्ष के भीतर (1994–95 एवं मार्च 2001) बंद हो गई थीं। इसके परिणामस्वरूप 3.15 करोड़ रूपये की वसूली नहीं हुई/ राजस्व हानि हुई ।

प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं शासन को सूचित किये गये थे (अगस्त 1999 एवं अगस्त 2001 के मध्य) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2002)।

5.14 प्रवेश कर का कम निर्धारण/अनारोपण

मध्यप्रदेश के स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत (जिसे छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अपना लिया गया है) यदि स्थानीय क्षेत्र में सामग्री का प्रवेश बिक्री ऐसी सामग्री की खपत याउपयोग कच्चे माल या आनुषंगिक सामग्री या पेकिंग सामग्री के रूप में या ठेका कार्य निष्पादन करने के लिये किया जाता है तो प्रवेश कर की वसूली माल के प्रवेश पर निर्धारित दर से की जाएगी। विनिर्माण में उपयोग किये गये कच्चे माल पर प्रवेश कर की दर एक प्रतिशत है जबकि अर्जक भार वाहक माल पर प्रवेश कर 10 प्रतिशत है ।

(i) दो क्षेत्रीय कार्यालयों[10] एवं वृत कार्यालय, कोरबा में अप्रैल 1996 से मार्च 2000 तक की अवधि हेतु पांच व्यापारियों के नवम्बर एवं दिसम्बर 2000 के मध्य हुए 6 प्रकरणों की नमूना जांच (अप्रैल 2001 एवं मई 2001 के मध्य) में पाया गया कि 3.05 करोड़ रूपये मूल्य के कोयला (कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त), मोटर पार्टस एवं अर्जक भार–वाहक के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया गया, परिणामस्वरूप 16.59 लाख रूपये की राशि के प्रवेश कर का अनारोपण हुआ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर कोयला और मोटर पार्टस के तीन प्रकरणों में निर्धारण अधिकारी ने बताया कि कार्यवाही की जावेगी और भुगतान भार–वाहक के संबंध में बताया कि ये मोटर यान के अन्तर्गत नहीं आते । उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि ये इसी के अन्तर्गत आते हैं ।

प्रकरण आयुक्त वाणिज्यिक कर एवं शासन को सूचित किया गया था (मई 2001 एवं जनवरी 2002 के मध्य) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2002)

5.15 समंजन (सैट ऑफ) की अनियमित स्वीकृति

मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 के प्रावधान के अन्तर्गत पंजीकृत एक व्यापारी समंजन का दावा पूर्ण दर और रियायती दर पर कर के मध्य अन्तर के बराबर के लिए कर सकता है, बशर्ते कि कच्चे माल या आनुषंगिक

माल का उपयोग अन्य सामग्री (माल) के उत्पादन हेतु किया गया है । यदि व्यापारी कच्चे माल के क्रय पर कर का भुगतान नहीं करता है, तो समंजन ग्राह्य नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के एक व्यापारी के प्रकरण में 1992–93 की अवधि के लिए अक्टूबर 2000, में किये गये पुनर्निर्धारण में किया गया था

[10] (क्षेत्रीय कार्यालयों) दुर्ग (2) एवं रायपुर (2)

यह पाया गया कि 27.89 लाख रूपये मूल्य के कच्चे माल की खपत पर, जो कर के भुगतान से छूट प्राप्त नवीन औद्योगिक इकाई से क्रय किया गया था, गलत ढंग से 1.85 लाख रूपये की समंजन दी गई।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (मार्च 2001) निर्धारण अधिकारी ने बताया कि राजस्व मंडल के निर्णय[11] के परिप्रेक्ष्य में समंजन दी गई थी। तथ्यों की दृष्टि से उत्तर मान्य नहीं है कि उपरोक्त निर्णय नवीन इकाइयों द्वारा कच्चे माल के क्रय से संबंधित है जो छूट का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अन्य व्यापारियों के लिए नहीं है ! तथापि, मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 की धारा –8(अ) सहपठित मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम,1959 के नियम–20 से स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि व्यापारी जो किसी प्रकार के कर का भुगतान नहीं करता, समंजन का हकदार नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश के निर्णय[12] द्वारा इस दृष्टिकोण की पुष्टि की गई है।

प्रकरण विभाग एवं शासन को मई 2001 में सूचित किया गया था , उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2002)।

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

5.16 अव–मूल्यांकन के कारण राजस्व हानि

छत्तीसगढ राज्य में यथाप्रयोज्य भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (अधिनियम–1899), में आवश्यक है कि संपत्ति का बाजार मूल्य उसके हस्तांतरण के लिए विलेख में विनिर्दिष्ट किया जाय । यह मूल्य आरोपणीय मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस के निर्धारण करने का आधार है । अधिनियम उप पंजीयक को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे अभिलेखों को जिलाध्यक्ष को संपत्ति के बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए संदर्भित कर सकता है यदि किसी कारण से उन्हें यह विश्वास हो कि दस्तावेजों में संपत्ति का बाजार मूल्य सत्यतापूर्वक वर्णित नहीं किया गया है ।

(i) उप पंजीयक, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (मई 2001 एवं जनवरी 2002 के मध्य) में यह पाया गया कि 39.11 करोड़ रूपये मूल्य के 4 विलेखों जिसका पंजीयन 1 नवम्बर 1999 एवं 21 अगस्त 2000 के मध्य किया गया जबकि इन विलेखों का बाजार मूल्य निष्पादन के समय 48.45 करोड़ रूपये था । उप पंजीयक ने इन प्रकरणों को सही बाजार मूल्य निर्धारित करने हेतु जिलाध्यक्ष को संदर्भित नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप 95.46 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस की कम वसूली हुई ।

[11] यूनिक रोलिंग मिल रायपुर के प्रकरण में राजस्व मंडल का निर्णय

[12] (प) पानम पैकर्स (पी) लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य (2002) (पप) मैसर्स इंदौर आयरन एवं स्टील मिल प्राइवेट लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय का निर्णय (1998 टी एल डी खंड 2 पृष्ठ 163)

(ii) उप पंजीयकों द्वारा संपत्तियो के मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वर्ष बाजार मूल्य के लिए दिशा–निर्देश तैयार किए जाते हैं । नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत या परिधि के भीतर कृषि भूमि के टुकड़ों का बाजार मूल्य 1999–2000 एवं 2000–2001 की अवधि के दौरान इन्हीं दिशा–निर्देशों से निर्धारित दर से संगणित किया जाना चाहिए था ।

उप पंजीयक कार्यालय, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (सितम्बर 2001 एवं जनवरी 2002) कि पंजीयन अप्रैल 1999 और मार्च 2001 के मध्य पंजीकृत विक्रय विलेखों 31 दस्तावेजों में दरें प्रयुक्त की गई थी इसके परिणामस्वरूप संपत्ति का बाजार मूल्य कम निर्धारण हुआ एवं परिणामतः 26.81 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

प्रकरण महानिरीक्षक, पंजीयन एवं शासन को सूचित किया गया (मार्च 2001 एवं मई 2002 के मध्य) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2002)।

5.17 गलत वर्गीकरण के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 एवं पंजीयन अधिनियम, 1908 (अधिनियम 1908) के अनुसार विलेखों पर सम्पत्तियों की प्रकृति एवं मूल्य के आधार विलेख की विषय वस्तु पर उसके लिए निर्धारित दर से मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस भुगतान योग्य है ।

7 उप पंजीयक कार्यालयों[13] में यह पाया गया (अप्रैल 2001 और जनवरी 2002 के मध्य) कि अप्रैल 1997 और मार्च 2001 के मध्य 147 प्रलेखों के पंजीयन में गलत वर्गीकरण[14] और निम्न दर से शुल्क लगाया गया इसके परिणामस्वरूप 49.79 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली हुई।

प्रकरण महानिरीक्षक, पंजीयन एवं शासन को सूचित किया गया था (जून 2001 और अप्रैल 2002 के मध्य), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवंबर 2002)।

5.18 मुद्रांक शुल्क की गलत/अनधिकृत छूट

सरकारी अधिसूचनाओं (सितम्बर 1978 एवं मार्च 1982) से (प) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित भू–स्वामी पट्टा धारकों एवं (ii) दस हैक्टेयर से अधिक भूमि न रखने वाले अन्य भू–स्वामी पट्टाधारकों द्वारा कृषि प्रयोजन हेतु ऋणों की प्रतिभूति हेतु निष्पादित बन्धक/गिरवी के विलेख मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस से मुक्त हैं ।

[13] अंबिकापुर (सरगुजा), बिलासपुर, जशपुरनगर, मनेन्द्रगढ़ (कोरिया), रामानुजगंज (सरगुजा), रायगढ़ एवं रायपुर

[14] पारिवारिक समझौते के फलस्वरूप प्राप्त उपहार के विलेख, समझौता के निराकरण छुटकारा, बंटवारा (विभाजन) और अधिकार पत्र (मुख्तार नामा) (39)(पप) सुधार/निरस्त करने हेतु नये विलेख (13) (पपप)हस्तांतरण के शुल्क सहित आरोपणीय विलेख जैसे कि निर्धारित शुल्क सहित आरोपणीय विलेख (13) एवं (पअ) अधिपत्य रहित तौर पर अधिपत्य सहित विक्रय के अनुबंध (7) आदि।

विभागीय अनुदेशों (अगस्त 1989) में वांछित है कि छूट पाने के लिए विलेख में विशिष्ट कृषि उददेश्य का उल्लेख किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 के अन्तर्गत प्राथमिक गृहनिर्माण सहकारी समितियां या उनकी ओर से पंजीकृत या जिसे पंजीकृत मान लिया गया है, के द्वारा गृह निर्माण प्रयोजन हेतु अन्य संस्थाओं/समितियों से ऋण लेने हेतु निष्पादित बन्धक विलेख अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर 1980 के द्वारा मुद्रांक शुल्क के भुगतान से मुक्त थीं ।

(i) 6 उप पंजीयक कार्यालयों [8] के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह पाया गया (फरवरी और दिसम्बर 2001 के मध्य) कि 180 बंधक विलेखों में ऋण के विशिष्ट उददेश्य या तो दर्शाया नहीं गया था या जिनका उददेश्य कृषि कार्यों के लिए नहीं था एवं एक बंधक विलेख का निष्पादन, 10 हेक्टेयर से अधिक की भूमि रखने वाले अन्य श्रेणी का था, को अनुचित ढंग से मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट दी गई इसके परिणामस्वरूप 16.39 लाख रूपये की राजस्व हानि हुई ।

(ii) उप पंजीयक, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में यह पाया गया (मई 2001) कि विभिन्न सहकारी गृह निर्माण समितियों द्वारा स्वयं के लिए ऋण न लेकर उनके सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से गृह निर्माण हेतु ऋण प्राप्त करने हेतु निष्पादित 41 विलेखों पर अनियमित रूप से मुद्रांक शुल्क के भुगतान की छूट दी गई । इसके परिणामस्वरूप 2.35 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क और पजीयन फीस की वसूली नहीं हुई।

प्रकरण महानिरीक्षक, पंजीयन एवं शासन को सूचित किया गया (जून 2001 और मार्च 2002 के मध्य), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2002)।

5.19 सहकारी गृह निर्माण समितियों के पक्ष में/के द्वारा निष्पादित प्रलेखों में राजस्व की हानि

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अनुसार, 15 नवम्बर 1997 से किसी संपत्ति का बाजार मूल्य वह मूल्य होगा जो जिलाध्यक्ष या अपील प्राधिकारी के निर्णय जैसा प्रकरण हो, के अनुसार होगा, जो बाजार में विक्रय करने पर प्राप्त होता । शासन की अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर 1980 के अनुसार, गृह निर्माण उददेश्यों के लिए भू–अधिग्रहण हेतु समितियों के पक्ष में निष्पादित किए प्रलेख मुद्रांक शुल्क के भुगतान से मुक्त है ।

2 उप पंजीयक कार्यालयों (बिलासपुर और रायपुर) के अभिलेखों की नमूना जांच (मई 2001 और जनवरी 2002 के मध्य) में समितियों द्वारा/ के पक्ष में निष्पादित प्रलेखों में निम्न विवरणानुसार कुल 5.90 लाख रूपये के राजस्व की हानि दृष्टिगत हुई ।

[8] अंबिकापुर, बगीचा (जशपुरनगर) नारायणपुर(बस्तर) रामानुजगंज (सरगुजा) रायपुर और सक्ती (जांजगीर)

(i) एक समिति द्वारा गृह निर्माण प्रयोजन के लिए मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान से छूट का लाभ लेकर पूर्व में क्रय की गई भूमि (0.65 एकड़) (मई और जून 1999) का विक्रय समिति के एक सदस्य को बिना प्रयोजन का उल्लेख किये किया गया (फरवरी 2001)। चूंकि प्रयोजन जिसके लिए भूमि का विक्रय सदस्य को किया गया था का उल्लेख प्रलेख में नहीं किया गया था छूट जो गृह निर्माण प्रयोजन के लिए स्वीकृत की गई थी सही नहीं थी और परिणामस्वरूप 1.58 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली हुई ।

(ii) 15 नवम्बर 1997 के पश्चात निष्पादित किए गए 53 प्रलेखों में भू खण्डों के मूल्य का निर्धारण प्रचलित बाजार दर से कम दर पर किया गया । तथापि, अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं करने के परिणामस्वरूप 4.32 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की हानि हुई ।

प्रकरण महानिरीक्षक पंजीयन एवं शासन को सूचित किया गया (जून 2001 एवं मार्च 2002 के मध्य), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2002)

5.20 प्रब्याजि और भूभाटक के गलत निर्धारण के कारण पट्टा विलेखों पर मुद्रांक शुल्क की कम वसूली

अधिनियम, 1899 के प्रावधानों के अनुसार 30 वर्षों से अधिक किन्तु 100 वर्षों से कम की अवधि हेतु पट्टा देने के अभिप्राय के पट्टा विलेखों पर मुद्रांक शुल्क, प्रव्याजि की राशि के 7.5 प्रतिशत की दर से एवं आरक्षित वार्षिक औसत भू भाटक का आठ गुना प्रभारित किया जाना है । 1 अगस्त 2000 से प्रभावशील संशोधन के पश्चात संपति के बाजार मूल्य पर प्रव्याजि एवं भू भाटक की गणना की जानी थी । मुद्रांक शुल्क की तीन चौथाई पंजीयन फीस प्रभारणीय है ।

उप पंजीयक, बिलासपुर और रायगढ के अभिलेखों की नमूना जांच में यह पाया गया (दिसम्बर 2001 और जनवरी 2002) कि प्रब्याजि एवं भू–भाटक के गलत निर्धारण के कारण जून 2000 एवं फरवरी 2002 के मध्य पंजीकृत 5 पट्टा विलेखों में 15.83 लाख रूपये के विरूद्ध 11.21 लाख रूपये का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का निर्धारण एवं वसूली की गई । इसके परिणामस्वरूप 4.62 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम निर्धारण/वसूली हुई ।

प्रकरण महानिरीक्षक, पंजीयन एवं शासन के ध्यान में लाया गया था (मार्च एवं मई 2002), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2002)।

5.21 अर्थदंड का अनारोपण

अधिनियम 1899 में अपेक्षित है कि विचाराधीन किसी भी विलेख पर प्रभारणीय शुल्क को प्रभावित करने वाले तथ्य यदि कोई हो, संपति का बाजार मूल्य एवं अन्य सभी तथ्यों और परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से प्रकट

करना चाहिए । कोई व्यक्ति जो शासन को धोखा देने के उददेश्य से संपत्ति का कम मूल्य बताता है या संपत्ति का अपर्याप्त विवरण देता है, 5000 रूपये से अनधिक के अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा ।

5 उप पंजीयकों[9] के अभिलेखों की नमूना जांच में यह पाया गया (दिसम्बर 2000 एवं दिसम्बर 2001 के मध्य) कि कृषि भूमि एवं भवनों के संबंध में विवरण जैसे–सिंचित/असिंचित, भूमि की किस्म ,वृक्षों की संख्या, भूमि/भूखण्ड की स्थिति और दशा, भवन निर्माण की गुणवत्ता पूंजी की भागीदारी, प्रव्याजि एवं भूभाटक की राशि, ऋण की राशि, संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित हुआ है अथवा नहीं आदि जो विलेख की प्रभारणीयता को प्रभावित करती है को दान बंधक, पट्टे, विक्रय एवं भागीदारी के अनुबंध के 57 प्रलेखों में पूर्ण रूप से स्पष्ट प्रकट नहीं किये गये थे । इसके अतिरिक्त 33 अधिकार पत्र के प्रलेखों में बाजार मूल्य को स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं किया गया था । 90 प्रलेखों में कुल 4.5 लाख रूपये की अधिकतम राशि का अर्थदण्ड आरोपणीय था।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2000 एवं दिसम्बर 2001 के मध्य) जिलाध्यक्ष, दुर्ग ने सूचित किया (जून 2002) कि 30 बंधक विलेखो में 0.73 लाख रूपये की वसूली के आदेश पारित किए जा चुके हैं जिसमें से 0.69 लाख रूपये की वसूली की गई है । शेष प्रकरणों में की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 2002)। प्रकरण महानिरीक्षक, पंजीयन एवं शासन को सूचित किया गया था (फरवरी 2001 एवं मई 2002 के मध्य), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2002)।

अन्य कर प्राप्तियॉ

5.22 शीरे से एल्कोहल का कम उत्पादन

मध्यप्रदेश आसवनी नियमावली 1995 (आसवनी नियमों) (जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अंगीकृत) के अनुसार शीरे की किण्वन क्षमता के एक क्विंटल किण्वन योग्य शर्करा से 84 प्रतिशत न्यूनतम से 91.8 प्रूफ लीटर एल्कोहल प्राप्त होना चाहिए। इसमें कमी पाये जाने पर अधिनियम तथा नियमों के अंतर्गत आरोपणीय शास्ति के अतिरिक्त लाइसेंस निरस्तीकरण तथा प्रतिभूति जमा को राजसात करना आावश्यक है। इसके अतिरिक्त नियमों के अंतर्गत अल्कोहल की कम प्राप्ति की स्थिति में आबकारी आयुक्त 30 रूपये प्रति प्रूफ लीटर की अनधिक दर पर दण्ड आरोपित कर सकता है।

(क) विभागीय रासायनिक विश्लेषण प्रतिवेदन के अनुसार एल्कोहल का कम उत्पादन

[9] अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर एवं रामानुजगंज (सरगुजा)

दुर्ग जिले की एक[10] आसवनी के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (सितम्बर 2001) कि विभागीय रासायनिक विश्लेषण प्रतिवेदन के अनुसार 3.55 लाख क्विंटल शीरा में 117394 क्विंटल किण्वण योग्य शर्करा से 107. 76 लाख प्रूफ लीटर एल्कोहल के उत्पादन के विरूद्ध जनवरी 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य केवल 106.05 लाख प्रूफ लीटर एल्कोहल का उत्पादन हुआ । इसी प्रकार 84 प्रतिशत की न्यूनतम किण्वण क्षमता संधारण करने में आसवक के असफल रहने के कारण उत्पादन में 1.71 लाख प्रूफ लीटर की कमी थी, जिसके लिए 51.30 लाख रूपये की अधिकतम शास्ति आरोपित की जा सकती है।

प्रकरण आबकारी आयुक्त एवं शासन को सूचित किया गया था (अप्रैल 2002), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2002)।

(ख) शर्करा घटकों के अनरूप एल्कोहल का उत्पादन न होना

नियमों के अनुसार, आसवनी अधिकारी, आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर, जैसा निर्धारित किया जाएगा, उस अन्तराल में शीरे के लिये गये नमूनों को विभागीय प्रयोगशाला को भेजेगा। विभागीय प्रयोगशाला द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर आसवनी अधिकारी एल्कोहल की न्यूनतम मात्रा की गणना करेगा ।

बिलासपुर जिले की एक आसवनी[11] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (मई 2001) कि विभाग द्वारा जनवरी से अक्टूबर 2000 के मध्य लिए गए 85 शीरे के नमूनों में से 72 नमूने विभागीय प्रयोगशाला को एक से चार महिनों के उपरांत भेजे गये थे जिसके परिणामस्वरूप आसवनी प्रतिवेदनों में शर्करा घटक 41.36 प्रतिशत से विभागीय जांच प्रतिवेदनों में 35.97 प्रतिशत तक की कमी पायी गई । इस अवधि में आसवक ने 39030 क्विंटल शीरे का उपयोग किया एवं आसवनी के रासायनिक विश्लेषण प्रतिवेदनों के अनुसार 14.08 लाख प्रूफ लीटर एल्कोहल के न्यूनतम उत्पादन के विरूद्ध 13.10 लाख प्रूफ लीटर एल्कोहल का उत्पादन किया । 0.98 लाख प्रूफ लीटर कम एल्कोहल की प्राप्ति से 23.52 लाख रूपये के राज्य उत्पाद शुल्क की हानि सन्निहित थी ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर, सहायक आबकारी आयुक्त, बिलासपुर ने बताया (मई 2001) कि नियमों के अन्तर्गत निर्धारित मानकों से एल्कोहल का उत्पादन अधिक था । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि को विभागीय प्रयोगशाला में शीरें भेजने में असाधारण विलम्ब के कारण अनुरूप उत्पादन कम था ।

5.23 आसवनी में स्पिरिट के न्यूनतम स्कंध का संधारण न करना

मध्यप्रदेश आसवनी नियमावली, 1995 के अनुसार लाइसेंसधारक आसवनी में स्पिरिट का निर्धारित न्यूनतम स्कंध संधारित करना होगा । आबकारी

10 मेसर्स केडिया कस्टल डेल्लोन लिमिटेड, दुर्ग

11 मेसर्स वेलकम डिस्टलरी, बिलासपुर

आयुक्त निर्धारित न्यूनतम स्कंध से कम पाये जाने पर 5 रूपये प्रति प्रूफ लीटर से अनधिक की दर से शास्ति आरोपित कर सकेगा ।

दुर्ग जिले में एक आसवनी[12] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (सितम्बर 2001) कि अप्रैल 2000 एवं अगस्त 2001 के मध्य अनेक अवसरों पर स्पिरिट का स्कंध निर्धारित न्यूनतम सीमा से 51.23 लाख प्रूफ लीटर कम था । तथापि, 2.56 करोड़ रूपये की राशि की शास्ति आरोपित नहीं की गई थी ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर, जिला आबकारी अधिकारी ने बताया (सितम्बर 2001) कि प्रकरण आबकारी आयुक्त के पास शास्ति के आरोपण हेतु लंबित थे ।

प्रकरण आबकारी आयुक्त एवं शासन को सूचित किया गया था (जनवरी एवं अप्रैल 2002 के मध्य), उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2002)।

5.24 राज्य शासन स्थापना पर किए गए व्यय की वसूली न करना

आसवनी नियमावली में, 1995 प्रावधान है कि यदि एक आसवनी पर राज्य शासन स्थापना पर किया गया व्यय वहां से स्पिरिट के निर्गम पर निर्यात शुल्क या अन्य किसी वसूली द्वारा अर्जित राजस्व के पॉच प्रतिशत से अधिक होता है , पूर्वोक्त पॉच प्रतिशत से अधिक की राशि आसवक से वसूल की जावेगी ।

अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (अक्टूबर 2001) कि दुर्ग जिले की दो आसवनियों[13] पर 1999–2001 के दौरान शासकीय स्थापना व्यय 24. 09 लाख रूपये था एवं शासन द्वारा अर्जित राजस्व 17.24 लाख रूपये था। इस प्रकार 17.24 लाख रूपये का 5 प्रतिशत से अधिक में किया व्यय 23. 23 लाख रूपये था, जिसकी वसूली नहीं की गई थी ।

प्रकरण आबकारी आयुक्त एवं शासन को सूचित किया गया था (जनवरी एवं अप्रैल 2002 के मध्य), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2002)।

5.25 स्पिरिट की अग्राह्य हानि

राज्य में एक आसवनी/मद्य भंडागार से दूसरी आसवनी/मद्यभांडागार को परिवहन किए गए या टैंकरों में निर्यात किए गए स्पिरिट के रिसाव अथवा वाष्पन के लिए नियमों में 0.1 एवं 0.2 प्रतिशत के मध्य हानि अनुमत्य हे । यदि हानियां अनुमत्य सीमाओं से परे या नियमों के अन्तर्गत अग्राह्य है, तो अनुज्ञप्तिधारक निर्धारित दरों पर शास्ति/शुल्क भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है । तथापि, एक मद्यभंडागार से दूसरे में पारगमन में भरी बोतलों की टूट–फूट के कारण कोई हानि अनुमत्य नहीं है ।

---

[12] मेसर्स केडिया कस्टल डेल्लोन इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड, कुम्हारी (जिला दुर्ग)

[13] 1. मेसर्स केडिया कस्टल डेल्लोन, कुम्हारी
2. मेसर्स केडिया डिस्टीलरी लिमिटेड, भिलाई

4 जिला आबकारी कार्यालयों[14] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (जनवरी 2000 एवं सितम्बर 2001 के मध्य) कि जनवरी 1998 से जुलाई 2001 की अवधि के दौरान 17.40 लाख प्रूफ लीटर परिशोधित स्पिरिट 3 आसवनियों से मद्यभंडागारों को स्थानांतरित की गई थी एवं 3144 प्रूफ लीटर की अनुमत्य सीमा के विरूद्ध 16415 प्रूफ लीटर स्पिरिट हानि के रूप में अनुमत्य की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 13271 प्रूफ लीटर स्पिरिट अधिक अनुमत्य की गई जिसके लिए 3.98 लाख रूपये की आरोपणीय शास्ति आरोपित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त सितम्बर 2000 से दिसम्बर 2001 के दौरान दो[15] मद्यभंडागारों से 821 अनुज्ञापत्रों पर बोतलों में परिवहन किए गए 31.36 लाख प्रूफ लीटर देशी स्पिरिट में 38919 प्रूफ लीटर की हानि अग्राह्य थी जिस पर 9.34 लाख रूपये का शुल्क आरोपणीय था । इस प्रकार 13.32 लाख रूपये की शास्ति एवं शुल्क का आरोपण नहीं किया गया।

प्रकरण आबकारी आयुक्त एवं शासन को सूचित किया गया था (अप्रैल 2002) , उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2002)।

5.26 वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न करना/कम वसूली

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (जिसे छत्तीसगढ राज्य द्वारा अंगीकृत किया गया) के प्रावधानों एवं इसके अधीन बनाये गए नियमों के अनुसार राज्य में प्रयुक्त या प्रयोग हेतु रखे गये प्रत्येक मोटर वाहन पर एक कर लगाया जायेगा । यदि नियत कर का भुगतान नहीं हुआ तो स्वामी, कर के भुगतान के अतिरिक्त, असफल हुये प्रत्येक माह या भाग हेतु कर की अदत्त राशि की एक तिहाई की दर पर शास्ति के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा परन्तु भुगतान नहीं हुई कर की राशि के दुगुने से अधिक नहीं होगा । यदि स्वामी, कर, दण्ड या दोनों का भुगतान करने में असफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी को एक मांग सूचना जारी करना चाहिये एवं भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली करना चाहिये । क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय रायपुर, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय दुर्ग एवं राजनन्दगांव के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसम्बर 2001 एवं जनवरी 2002 के मध्य) से प्रकट हुआ कि विभिन्न प्रकार के वाहनों यथा माल वाहनों, ओमनी बसें, आरक्षित/व्यक्तिगत सेवा इत्यादि पर कुल 1.09 करोड़ रूपये का वाहन कर एवं 2.17 करोड़ रूपये की शास्ति का कम आरोपण/आरोपण नहीं किया।

प्रकरण परिवहन आयुक्त एवं शासन को सूचित गया था (फरवरी एवं मई 2002 के मध्य), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2002)।

---

[14] बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर एवं रायगढ

[15] भिलाई एवं बिलासपुर

5.27 पुनरीक्षित दरें लागू नहीं करने से कर की कम वसूली

मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग ने अतिरिक्त बसों हेतु 17 जुलाई 2000 से (जैसा कि छत्तीसगढ राज्य में भी लागू) वाहन कर की दरें पुनरीक्षित की गई।

अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, दुर्ग के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (दिसम्बर 2001) कि माह जुलाई एवं अगस्त 2000 हेतू पुनरीक्षित दरें लागू न करने से 95 अतिरिक्त बसों से संबंधित 2.05 लाख रूपये के वाहन कर की कम वसूली हुई । इस पर 4.10 लाख रूपये की शास्ति भी आरोपणीय थी । इसके परिणामस्वरूप शास्ति सहित 6.15 लाख रूपये के कर की कम वसूली हुई ।

प्रकरण परिवहन आयुक्त एवं शासन को सूचित गया था (फरवरी/मार्च 2002) उनका, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2002)।

5.28 व्यपवर्तन लगान एवं उपकर की मांग सृजित न करना

राजस्व पुस्तक परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार राजस्व प्राधिकारी संबंधित तहसीलदार को तहसील अभिलेखों में सम्मिलित करने के हेतु भूमि पर व्यपवर्तन [16] लगान की मांग सूचित करेगा । इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम, 1981 (जैसा कि छत्तीसगढ राज्य द्वारा अंगीकृत किया गया) में प्रावधान है कि पंचायत उपकर धारक के प्रत्येक धारणकाल एवं शासकीय पट्टेदार को उसके द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में धारित भूमि के संबंध में निर्धारित भू राजस्व या किराये के प्रत्येक रूपये (व्यपवर्तन लगान सहित) पर 50 पैसे की दर से भू राजस्व या किराये के अतिरिक्त आरोपणीय है।

जिलाध्यक्ष कार्यालय रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (मई 2001) कि 1998–99 एवं 1999–2000 के दौरान 16 ग्रांमों पर निर्धारित व्यपवर्तन लगान हेतु मांग एवं इस पर आरोपित उपकर संबंधित तहसीलदारों को सूचित नहीं किया गया था । इसके परिणामस्वरूप 17.02 लाख रूपये की राशि के व्यपवर्तन लगान एवं उपकर की राशि मांग सृजित नहीं की गई ।

प्रकरण शासन/विभागाध्यक्ष को सूचित किया था (अक्टूबर 2001) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मई 2002) ।

[16] गैर कृषि प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित कृषि भूमि पर पुनर्निधारित लगान

5.29 समझौता मनोरंजन शुल्क के विलम्बित भुगतान पर शास्ति का अनारोपण

अधिनियम एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों में प्रावधान है कि सिनेमा घर के संचालक को समझौता मनोरंजन शुल्क की साप्ताहिक किश्त का अग्रिम भुगतान सप्ताह प्रारंभ होने के पूर्व करना होगा । यदि यह समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो निर्धारित दरों से शास्ति आरोपणीय होगी ।

दुर्ग जिले में मनोरंजन शुल्क के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (अक्टुबर 2001) कि यद्यपि 5 सिनेमा घरों के संचालकों ने अप्रैल 1997 से मार्च 2001 तक की अवधि के दौरान समझाौता मनोरंजन शुल्क की साप्ताहिक किश्तें सप्ताह प्रारंभ होने से पूर्व भुगतान नहीं की थी, 1.51 लाख रूपये की शास्ति आरोपित नहीं की गई ।

प्रकरण आबकारी आयुक्त एवं शासन को दिसम्बर 2001 एवं अप्रैल 2002 के मध्य सूचित गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवंबर 2002)।

अन्य कर–भिन्न प्राप्तियॉ

5.30 रायल्टी के विलंबित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण

खनिज रियायत नियमावली, 1960 के अनतर्गत कोई किराया, रायल्टी, शुल्क या शासन को देय अन्य राशि भुगतान हेतु निर्धारित तिथि की समाप्ति के 16 वें दिन से, वास्तविक भुगतान तक उस रायल्टी, किराया या अन्य धन पर 24 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज आरोपणीय है ।

खनिज अधिकारी, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (मार्च 2001) कि एक पट्टेदार ने 24 लाख रूपये की देय रायल्टी (नवम्बर 1996 से सितम्बर 1997) के भुगतान में विलंब किया एवं उसका भुगतान दिसम्बर 1999 एवं जनवरी 2001 में किया। खनिज अधिकारी ने 15. 63 लाख रूपये की शास्ति का आरोपण नहीं किया।

प्रकरण संचालक, भौमिकी एवं खनन तथा शासन को सूचित किया गया था (अप्रैल 2001), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2002)।

5.31 हानियों की वसूली में विफलता

पुलों पर पथकर के संग्रहण हेतु पट्टा विलेख के अनुबन्धों के अनुसार पट्टाधारक को पट्टा विलेख में निर्दिष्ट तिथि पर पट्टा धन की किश्तों का भुगतान करना होता है जिसमें असफल होने पर 10 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्रभारित होगा ।

दो लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) संभागों[17] में यह पाया गया (अगस्त एवं अक्टुबर 2001 के मध्य) कि अप्रैल 1997 एवं मार्च 2001 के मध्य पथ कर के संग्रह हेतु 8 पट्टेदारों को 20.67 लाख रूपये की सकल राशि हेतु नीलामी की गई थी, जिसमें से पट्टेदारों ने केवल 11.07 लाख रूपये किश्तों में भुगतान किये, शेष 9.60 लाख रूपये का भुगतान नहीं किया गया। मार्च 2002 तक किश्तों के विलंबित भुगतान पर 1.68 लाख रूपये का ब्याज आरोपणीय था, परन्तु आरोपित नहीं किया गया ।

प्रकरण प्रमुख अभियंता एवं शासन को सूचित किया गया था (अक्टूबर 2001 एवं मई 2002 के मध्य), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2002) ।

5.32 शासकीय भवनों के लाइसेंस शुल्क की कम वसूली/वसूली नहीं होना

(क) मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली, 1983 (जैसा की छत्तीसगढ राज्य द्वारा अंगीकृत किया गया) के अनुसार शासकीय भवनों पर लाइसेंस शुल्क यदि किसी निजी व्यक्ति, कम्पनी, क्लब ,एसोसिएऐशन स्थानीय निकाय, अन्य संस्थायें इत्यादि को किराये पर दिया गया है तो निर्धारित दरों या कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार दर, जो भी अधिक होगा, के अनुसार वसूल किया जायेगा ।

तीन लोक निर्माण संभागों[18] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (सितम्बर एवं अक्टुबर 2001 के मध्य) कि दूसरे संस्थानों/निकायों[19]को किराये पर दिये गए, 8 शासकीय भवनों का लाइसेंस शुल्क निर्धारित दरों पर आरोपित नहीं किया गया था । जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 1995 से सितम्बर 2001 तक की अवधि हेतु 3.93 लाख रूपये के लाइसेंस शुल्क की कम वसूली/वसूली नहीं हुई ।

(ख) मध्यप्रदेश शासन द्वारा अप्रैल 1992 के आदेशों जिसे जुलाई 1993 में पुनश्च संशोधित किया गया (जैसा कि छत्तीसगढ राज्य द्वारा अंगीकृत किया गया) से दुकानदारों के अनाधिकृत अधिपत्य, में दुकानों के बकाया राशि का भुगतान एवं 3 रूपये प्रति वर्ग फुट की दर पर किराया भुगतान करने की स्थिति में 10 वर्षों के लिए पट्टा विलेख निष्पादित करने के बाद दुकानों के आवंटन को नियमित करने का निर्णय लिया गया था । इन शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में दुकानें रिक्त एवं पुनरावंटित की जानी थी ।

लोक निर्माण (भवन/सड़क) संभाग उत्तर बस्तर, जगदलपुर के अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया (अक्टुबर 2001) कि 19 दुकानों के प्रकरणों में दुकानदारों को एक वर्ष की अवधि के लिए 1981 एवं 1985 के मध्य अस्थाई पट्टे दिये गये थे, न तो पट्टे नवीनीकृत किए गए और न ही लाइसेंस

---

[17] जशपुर नगर और कोरबा–II

[18] जशपुरनगर, मनेन्द्रगढ़ एवं रायगढ़

[19] दूरदर्शन केन्द्र, डाक घर, क्लब (रायगढ), भारतीय स्टेट बैंक शाखा, जनकपुर (मनेन्द्रगढ), दूरदर्शन केन्द्र (जशपुरनगर)

शुल्क की बकाया राशि इत्यादि की वसूली हेतुकोई कार्यवाही, की गई । इसके परिणामस्वरूप ` अप्रैल 1997 से मार्च 2001 तक की अवधि हेतु लाईसेंस शुल्क, पट्टे इत्यादि के रूप में 19.54 लाख रूपये के राजस्व की कम वसूली/वसूली नहीं हुई ।

प्रकरण प्रमुख अभियंता एवं शासन को सूचित किये गये (फरवरी एवं अप्रैल 2002 के मध्य), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2002) ।

5.33 समुन्नत अंशदान का अनारोपण

मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम,1931, में अनुसार 1 अप्रैल 1951 के बाद निर्मित नयी नहर के हितग्राहियों से 140 रूपये प्रति एकड़ की दर पर एक मुश्त या 224 रूपये प्रति एकड़ की दर पर 20 वार्षिक किश्तों में भुगतान योग्य समुन्नत अंशदान के आरोपण एवं वसूली हेतु प्रावधान है । अंशदान ऐसी तिथि से वसूली योग्य होगा जैसा कि शासन द्वारा अधिसूचित किया जायेगा परन्तु नहर के प्रचालन के प्रारंभ होने की तिथि से 3 वर्ष पहले नहीं होगा । 8 जल संसाधन संभागों[20] के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया (जून 2000एवं अक्टूबर 2001 के मध्य) कि वर्ष 1975 एवं 1999 के दौरान 82 सिंचाई योजनाओं को पूर्ण किया गया था । वर्ष 1987 एवं 2000 के मध्य आरोपणीय समुन्नत अंशदान का आरोपण नहीं किया गया था । इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2002 तक 3.21 करोड़ रूपये के समुन्नत अंशदान का अनारोपण हुआ ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर, कार्यपालन यंत्री, रूद्री ने बताया (जून 2002) कि अधीनस्थ अधिकारियों को समुन्नत अंशदान के आरोपण एवं वसूली हेतु निर्देशित किया गया था । कार्यवाही प्रगति में या अन्य संभागों में प्रारंभ किया जाना है ।

प्रकरण प्रमुख अभियंता एवं शासन को सूचित किया गया था (मई 2002 एवं नवम्बर 2002), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2002) ।

5.34 शासकीय भवनों पर लाइसेंस शुल्क का अनारोपण

शासन के स्पष्टीकरण (नवम्बर 1985 एवं जनवरी 1988) एवं सहपठित मध्यप्रदेश निर्माण विभाग नियमावली, 1983 के प्रावधानों (जैसा कि छत्तीसगढ राज्य द्वारा अंगीकृत किया गया) के अनुसार,यदि शासकीय भवन निजी व्यक्ति, कम्पनी, क्लब,एसोसिऐशन, स्थानीय निकाय, अन्य संस्थाओं इत्यादि को किराये पर दिया गया है तो लायसेंस शुल्क निर्धारित दरों या कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार दर, दोनों में जो भी अधिक हो के अनुसार वसूल किया जायेगा ।

[20] जल संसाधन सभाग, अंबिकापुर, बैकुंठपुर (कोरबा), गरियाबंद (रायपुर) जगदलपुर (बस्तर), कसडोल (रायपुर) रायगढ़, तेन्दुला (दुर्ग) एवं महानदी जलाश्य परियोजना बांध संभाग–2 रूद्री

कार्यपालन यंत्री, हसदेव बांध , जल प्रबंध संभाग, रामपुर, कोरबा के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (नवम्बर 2001) कि 3 शासकीय भवन अगस्त 1983 एवं मार्च 1997 के मध्य अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं को किराये पर दिये गए थे । अप्रैल 1995 से सितम्बर 2001 अवधि हेतु लाइसेंस शुल्क निर्धारित एवं आरोपित नहीं करने के परिणामस्वरूप 10.77 लाख रूपये की राजस्व हानि हुई ।

प्रकरण प्रमुख अभियंता एवं शासन को सूचित किया गया था (फरवरी एवं मई 2002 के मध्य), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2002) ।

5.35 लाइसेंस शुल्क एवं प्रीमियम का कम आरोपण /अनारोपण

मध्य प्रदेश शासन द्वारा अप्रैल 1992 के आदेशों जिसे जुलाई 1993 में पुनश्च संशोधित किया गया (जिसे छत्तीसगढ राज्य द्वारा अंगीकृत किया गया) से निजी दुकानदारों द्वारा अनधिकृत आधिपत्य में ली गई दुकानों हेतु अदत्त किराया जमा करने, बिना वापसी योग्य प्रीमियम एवं रिक्तता पर समायोजित/वापसी योग्य 4 महीने का अग्रिम किराया जमा करने के शर्त की स्थिति में 10 वर्षों की अवधि हेतु पट्टा विलेख निष्पादित कर दुकानों के आवंटन नियमित करने का निर्णय लिया गया था । इसके अतिरिक्त 3 रूपया प्रति वर्ग फुट की दर से , किराया वसूली योग्य था ।

हसदेव बांध, दायीं तट नहर, जल प्रबंध संभाग, रामपुर, कोरबा के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया (अक्टुबर 2001) कि 1964–65 से 8 दुकानें जो दुकानदारों के आधिपत्य में थीं, 1971 में पुनर्नीलाम की गयी परन्तु नीलामीएवं आवंटन के विस्तृत विवरण अभिलेखों में दर्ज नहीं थे । तब से शासन द्वारा निर्धारित दर (अप्रैल 1992) के अनुसार इन दुकानों का प्रीमियम एवं लाइसेंस शुल्क की वसूली एवं पुनरावंटन की कार्यवाही नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 1995 से सितम्बर 2001 तक की अवधि हेतु कुल 9.10 लाख रूपये का लाइसेंस शुल्क, प्रीमियम एवं अग्रिम लाइसेंस शुल्क कम आरोपण/वसूली नहीं हुई।

प्रकरण प्रमुख अभियंता एवं शासन को सूचित गया था (फरवरी, मई 2002 एवं नवम्बर 2002 के मध्य), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2002)।

5.36 जल प्रभार और उपकर का अनारोपण

1 अप्रैल 1983 से प्रभावशील शासन की अधिसूचना (मार्च 1983) (छत्तीसगढ राज्य में लागू) के अनुसार सिंचाई नहर द्वारा लाभान्वित स्थायी भू–धारकों से 81 रूपये प्रति एकड़ की दर पर जल प्रभार के अतिरिक्त धान पर 10 रूपये प्रति एकड़ की दर से उपकर वसूली योग्य है ।

जल संसाधन संभाग, रायगढ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (अक्टूबर 2001) कि वर्ष 2000–01 के दौरान मॉड सिंचाई परियोजना के मध्यम से सिंचित 7733.57 एकड़ भूमि पर जल प्रभार एवं उपकर आरोपित नहीं किये गये थे । इसके परिणामस्वरूप 7.04 लाख रूपये के राजस्व की

वसूली नहीं हुई । इसके अतिरिक्त वर्ष 1998–1999 एवं 1999–2000 हेतु सिंचित भूमि एवं जल दरो एवं उपकर के आरोपण एवं वसूली के अभिलेख संधारित नहीं किये गये थे ।

प्रकरण प्रमुख अभियंता एवं शासन को सूचित किया गया था (जनवरी एवं मई 2002 के मध्य), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2002)।

5.37 ऋणों की विलंबित वापसी पर ब्याज का अनारोपण

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग विभिन्न जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को दुर्गम क्षेत्रों में खाद्यान्न के भंडारण एवं वितरण हेतु ऋण प्रदान करता है जो उसी वर्ष 31 अक्टूबर तक वापिस किया जाना है । असफलता की स्थिति में 18 प्रतिशत की दर से ब्याज आरोपणीय है।

दो खाद्य कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (जुलाई एवं अक्टुबर 2001) कि मई 1996 एवं जुलाई 2000 के मध्य जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, रायगढ़ एवं जगदलपुर को दुर्गम क्षेत्रों में खाद्यान्न की अधिप्राप्ति एवं भंडारण हेतु कुल 4.03 करोड़ रूपये के ऋण भुगतान किये गये थे । बैंकों द्वारा इन ऋणों के पुनर्भुगतानों में प्रत्येक वर्ष 151 दिनों तक का विलंब किया एवं इस पर 19.95 लाख रूपये के ब्याज का आरोपण एवं वसूली नहीं की गई ।

प्रकरण संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं शासन को सितम्बर 2001 एवं मई 2002 में सूचित किया गया था , उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2002)।

5.38 उर्वरक विक्रेताओं से लाइसेंस शुल्क की वसूली न होना

उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1995 (जो छत्तीसगढ़ राज्य में लागू) के प्रावधानों के अन्तर्गत शासन ने उर्वरकों के फूटकर विक्रय हेतु लाइसेंस जारी करने/लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु 1000 रूपये शुल्क निर्धारित किया । 1250रूपये के लिये नवीनीकरण शुल्क पुनः संशोधित किया गया था (अप्रेल 1999)।

दो उप संचालक कृषि[**] के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई एवं अगस्त 2001) में पाया गया कि 362 सहकारी समितियॉ 1995–96 से 2001–02 तक की अवधि के दौरान उर्वरकों का फुटकर विक्रय बिना लाइसेंस प्राप्त किये कर रही थीं । इसके परिणामस्वरूप 8.14 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

प्रकरण संचालक, कृषि एवं शासन को सूचित किया गया था (सितम्बर 2001 एवं जनवरी 2002), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2002) ।

---

* खाद्य अधिकारी रायगढ़ एवं खाद्य नियंत्रक, जगदलपुर

** रायगढ़ एवं रायपुर

वन प्राप्तियॉ

5.39 बॉस के कम उत्पादन के कारण हानि

विभाग ने निर्धारित किया (जनवरी 1984) कि बांस के प्राक्कलित एवं वास्तविक उत्पादन के मध्य अंतर अनुमत्य नहीं किया जायेगा । कूप से बांस की मात्रा के प्राक्कलन का निर्धारण एक नमूना खंड रेखांकन के सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है । इस प्रकार बांस की वास्तविक एवं प्राक्कलित उपज में अंतर के कारण उत्पादन में कमी के कारणों की जांच एवं तद्नुसार कार्यवाही की जाना चाहिये ।

(क) वनमंडलाधिकारी (सामान्य), कवर्धा एवं (उत्पादन), खैरागढ़ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (जनवरी 2001 एवं अप्रैल 2001) कि 1998–99 एवं 1999–2000 के दौरान 1399 नोशनल टन [21]व्यापारिक बांस एवं 3376 नोशनल टन औद्योगिक बांस के प्राक्कलित उत्पादन के विरूद्ध केवल क्रमशः 309 नोशनल टन एवं 1178 नोशनल टन का विदोहन किया गया । इसके परिणामस्वरूप 43.51 लाख रूपये की हानि हुई ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर , वनमंडलाधिकारी कवर्धा ने बताया (जनवरी 2001) कि परिक्षेत्र अधिकारी, तारेगांव ने अनुचित नमूना प्लांटिंग बनाने के परिणामतः प्राक्कलित उत्पादन गलत संगणित करने के साथ एवं कुछ प्रकरणों में फूल आने से बांस कुंज नष्ट किये गये थे जिस के परिणामस्वरूप उत्पादन कम हुआ ।

वनमंडलाधिकारी, कवर्धा का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सभी घटकों पर विचार करने के उपरान्त समान कूप से नमूना प्लाट के रेखांकन द्वारा प्राक्कलन बनाया गया था ।

प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ एवं शासन को सूचित किया गया था (फरवरी 2002 एवं मई 2002), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2002) ।

(ख) वन मंडलाधिकारी, नारायणपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (फरवरी 2001) कि 6 कूपों में 2700 नोशनल टन (व्यापारिक : 1779 नोशनल टन , औद्योगिकः 921 नोशनल टन) के प्राक्कलित उत्पादन के विरूद्ध बांस का वास्तविक उत्पादन 2221 नोशनल टन (व्यापारिक :667 नोशनल टन, औद्योगिकः 1554 नोशनल टन) था । 1112 नोशनल टन व्यापारिक बांसों के कम उत्पादन के परिणामस्वरूप औद्योगिक बांसों की अधिक उत्पादन (633 नोशनल टन) के विक्रय मूल्य समायोजित करने के बाद 46.10 लाख रूपये की राजस्व हानि हुई ।

---

[21] नोशनल टन बांस के मापन के संबंध में 2400 चल मीटर के बराबर 1 नोशनल टन

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर, वनमंडलाधिकारी ने बताया (फरवरी 2001) कि भौगोलिक परिस्थितियॉ एवं पहुॅच योग्य क्षेत्र नहीं होने एवं नमूना प्लाट के चयन में त्रुटि की संभावना के कारण अंतर था । इसके अतिरिक्त बांस का विदोहन केवल सिल्वी कल्चरल बिन्दु की दृष्टि से किया गया था क्योंकि बांस वनों पर व्यापारिक विदोहन का विपरीत प्रभाव हो सकता था ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कूप नियमित पातन श्रृंखलाओं के भाग थे एवं प्राक्कलन कुशल एवं प्रशिक्षित अमले द्वारा बनाया गया था ।

प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं शासन को फरवरी 2002 एवं मई 2002 में सूचित किया गया था , उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2002) ।

5.40 इमारती लकड़ी के लट्ठों को बल्लियों के रूप में वर्गीकृत करने के कारण राजस्व की हानि

प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने कूपों में इमारती लकड़ी की गोलाई में 2 से.मी. एवं लंबाई में 9 से.मी. तक संकुचन अनुमत्य किया (अगस्त 1984) । इसके बाद काष्ठागार में पुनर्मापन के समय कोई सिकुड़न अनुमत्य नहीं किया जाना था । जैसा कि इमारती लकड़ी के लट्ठे को एक बार कूप में लट्ठे के रूप में वर्गीकृत करने पर काष्ठागार में पुनर्मापन के बाद बल्ली के रूप में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जा सकता ।

वन मंडलाधिकारी, राजनांदगांव के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (अप्रैल 2000) कि 1998–99 के दौरान 6868 घन मीटर माप के 67590 इमारती लकड़ी के लट्ठे 12 कूपों से विक्रय काष्ठागारों को भेजे गये थे । इसमें से 628 घन मीटर माप के 12808 इमारती लकड़ी के लट्ठे काष्ठागारों में पुनर्मापन के बाद बल्लियों के रूप में पुनःवर्गीकृत किये गये थे । इसके परिणामस्वरूप लकड़ी के लट्ठे हेतु प्रचलित औसत विक्रय दर से 43.87 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर, वनमंडलाधिकारी ने बताया (अप्रैल 2000) कि कूपों में माप उचित ढंग से नहीं लिये गये थे । उसने पुनश्च जोड़ा कि विभागीय अनुदेशों (अक्टूबर 1997) के अनुसार इमारती लकड़ी का वर्गीकरण किया गया था । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभागीय निर्देशों के अनुसार काष्ठाागारों में सिकुड़न/सूखत हेतु कोई छूट अनुमत्य नहीं है एवं कूपों एवं काष्ठाागारों में लिये गए मापों के मध्य कोई अन्तर नहीं होना चाहिये ।

प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं शासन को फरवरी 2002 एवं मई 2002 में सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2002) ।

5.41 विभागीय कार्य हेतु वनोपज का अनधिकृत उपयोग

विभागीय कार्यों में प्रयुक्त वनोपज मंडल द्वारा तैयार किए गए प्राक्कलनों पर आधारित एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति द्वारा आवृत होना चाहिए ।

कार्य में उपज के उपयोग करने से पहले ऐसी उपज की लागत शासकीय लेखे में प्रेषण की जानी है ।

वनमंडलाधिकारी (पूर्व), रायपुर एवं वनमंडलाधिकारी (सामान्य), रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (अप्रैल 2000 एवं मई 2001 के मध्य) कि 1996–97 एवं 2000–2001 के मध्य शासकीय खाते में इन उपजों की लागत जमा किये बिना एवं संबंधित कार्यों के प्राक्कलनों की किसी भी स्वीकृति के बिना 18.53 लाख रूपये मूल्य के 45349 बॉस ,17970 बल्लियॉ, 3440 फेंसिंग पोस्ट एवं 210 क्विंटल जलाऊ लकड़ी का विभागीय कार्यों में उपयोग किया गया ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (अप्रैल 2000 एवं मई 2001 के मध्य) वनमंडलाधिकारी जांच के बाद वनोपज का मूल्य जमा करने को सहमत हुए । आगामी प्रतिवेदन प्रतिक्षित है ।

प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं शासन को सूचित किया गया था (अप्रैल 2002 एवं मई 2002) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2002) ।

5.42 काष्ठागारों में वनोपज की कमी

मध्य प्रदेश वन वित्तीय नियमावली के अनुसार कूपों/काष्ठागारों के स्कंध का आवधिक भौतिक सत्यापन आवश्यक है। विभागीय अनुदेशों (नवंबर 1993)में प्रत्येक वर्ष जुलाई/अगस्त के अन्त तक प्रत्येक काष्ठागार/कूप का भौतिक सत्यापन करने का प्रावधान है । , सत्यापन के समय यदि कोई विभिन्नताऍ एवं कमियॉ पाई जाती है, तो तुरन्त जांच कर उचित कार्यवाही की जानी चाहिये । इसके अतिरिक्त, सभी कमियॉ और हानियॉ उच्च प्राधिकारियों एवं महालेखाकार को भी त्वरित सूचित की जानी चाहिये । हानि के पता लगने के दिनांक से 6 महिनों के भीतर अंतिम हानि प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

रायगढ़ क्षेत्रीय एवं रायपुर (सामान्य) वन मंडलों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (जनवरी 2000 एवं मई 2001) कि फरवरी 1997 एवं सितम्बर 2000 के मध्य 22 काष्ठागारों के भौतिक सत्यापन के दौरान 14.50 लाख रूपये मूल्य की 4695 बल्लियॉ, 297 जलाऊ चट्टे, 6752.62 क्विंटल जलाऊ लकड़ी एवं 8746 व्यापारिक बॉस कम पाये गये थे । परन्तु न तो कमी की जांच हेतु कार्यवाही की गयी थी और न ही प्रकरण शासन एवं महालेखाकार को सूचित किया गया था ।

प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं शासन को मार्च/अप्रैल 2002 में सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है(नवम्बर 2002)।